

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 498/2024

IN THE MATTER OF:

SHRICHAND

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS. RESPONDENTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Report of Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance with the order dated 21.03.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.	1-6
2.	<u>ANNEXURE 1</u> Inspection report of 20 brick kilns.	7-26
3.	<u>ANNEXURE 2</u> The copy of Environmental Compensation.	27-35

THROUGH

ADITYA VAIBHAV SINGH
ADVOCATE
A-394, LGF, DEFENCE COLONY
NEW DELHI - 110024

NEW DELHI
DATE:-03.07.2025



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 498/2024

IN THE MATTER OF:

SHRICHAND

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS. RESPONDENTS

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN
COMPLIANCE OF ORDER DATED 21.03.2025
PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

I Pankaj Yadav, aged about 45 years, posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Mathura, Uttar Pradesh. I do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the present report is being filed before this Hon'ble Tribunal in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal vide order dated 21.03.2025. The relevant portion of the order dated 21.03.2025 is reproduced as under:

"1. In this original application, the Tribunal is considering the allegation of the illegal operation of brick kilns in District Mathura. The Applicant has impleaded as many as 20 brick kilns against whom the allegations have been made.




NOTARIAL STAMPS
Ramvir Singh
Advocate, Mathura
Regn. No. 3752/06

2. Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) has filed the report dated 26.11.2024 which reveals that the inspection of these brick kilns was done on 31.07.2024 and 14.11.2024 when these brick kilns were found to be non-operational.

3. Counsel for the UPPCB submits that when the inspection was done in July and November, it was not the brick kilns operation season, therefore, they were found to be non-operational. He submits that now the season is on, therefore, fresh inspection will be done and the report will be submitted before the Tribunal within four weeks.

5. List on 10.07.2025.”

2. That in compliance of the above-mentioned directions passed by this Hon'ble Tribunal, officials of Regional Office UPPCB, Mathura conducted inspection of the 20 brick kilns in the month of May & June, 2025. The individual inspection report of the 20 Brick Kilns is annexed herewith as **Annexure 1.**



3. That the inspection revealed the following:

Total Brick Kilns	20
Brick Kilns operating with valid CTO	7
Brick Kilns operating without valid CTO.	4
Brick Kilns that were non-operational	9

4. That out of 20 Brick Kilns; 07 Brick Kilns were found in operation with valid CTO issued by UPPCB. The status of the 7 operational brick kilns are as following:-

S.N.	Name of Brick Kilns	Consent Status	Date of Inspection	Operational Status
1.	M/S Jai Shri Ram Bricks Industry, Khasra No.-371, Ujhani Bangar, Chatta, Mathura.	Valid upto-31.07.2029	09.06.2025	Yes
2.	M/S Hari baba Bricks Industry (Old Name- M/S Ganesh Bricks Industry), Khasra No.- 226 , Ench, Chatta, Mathura (Actual Name- Urban Bricks Udhyog).	Valid upto-31.07.2029	12.06.2025	Yes
3.	M/S Baba Bricks Field, Khasra No.-231, Shernagar Bore, Chatta, Mathura.	Valid upto-31.07.2028	12.06.2025	Yes
4.	M/S Baba Bricks Field, Khasra No.-66 , Bda Bangar, Chatta, Mathura.	Valid upto-31.07.2028	12.06.2025	Yes
5.	M/S Shri ji Ent Udhyog, Khasra No.-33, Ujhyan Bangar, Chatta, Mathura.	Valid upto-31.07.2027	09.06.2025	Yes
	M/S Shri Ram Ent Udhyog, Khasra No.-26, Ujhyan Bangar, Chatta, Mathura	Valid upto-31.07.2026	09.06.2025	Yes
	M/S Patel Ent Udhyog, Khasra No.-122, Rampur Bangar, Chatta, Mathura (Actual Name- Patel Bhatta Company).	Valid upto-31.07.2025	12.06.2025	Yes

5. That out of the remaining 13 brick kilns; 04 brick kilns were found in operation without a valid CTO. It is pertinent to mention that the UPPCB had already issued closure orders qua these 4 brick kilns. It is humbly submitted that on

finding these 4 brick kilns operational, the fire brigade was called and the brick kilns were doused. The UPPCB has also imposed Environmental Compensation. The status of the 4 brick kilns are as follows:-

S.N.	Name of Brick Kilns	Closure Order issued	Date of Inspection	Operational Status	Action against Brick Kiln
1.	M/S Sai Baba Bricks Industry, Khasra No.-116,117,118, Moghai Bangar, Chatta, Mathura.	Issued on dated-29.03.2022	27.05.2025	Yes	Closed by pouring water & environmental compensation imposed.
2.	M/S Madhavdas Bricks Industry, Khasra No.-194, Shajadpur Bangar, Chatta, Mathura.	Issued on dated-29.03.2022	27.05.2025	Yes	Closed by pouring water & environmental compensation imposed.
3.	M/S Pahat Bricks Industry, Khasra No.-28/2, 29/2, Bda Bangar, Chatta, Mathura.	Issued on dated-16.03.2022	27.05.2025	Yes	Closed by pouring water & environmental compensation imposed.
	M/S Kishori Bricks Industry, Khasra No.-262, Shernagar Bangar, Chatta, Mathura.	Issued on dated-16.03.2022	27.05.2025	Yes	Closed by pouring water & environmental compensation imposed.



6. That the remaining 9 brick kilns were found non-operational.

The status of the remaining 9 brick kilns are as follows:-

S.N.	Name of Brick Kilns	Consent Status	Closure Order issued	Date of Inspection	Operational Status
1.	M/S Pari Bricks Industry, Khasra No.-50, Ench, Chatta, Mathura (Actual Name- Pari Bricks Udhyog)	No	Issued on dated- 29.03.2022	05.04.2025 & 06.05.2025	No
2.	M/S Shri Gopal Bricks Industry, Khasra No.-357, Ujhani, Chatta, Mathura.	No	Issued on dated- 28.02.2022	06.06.2025	No
3.	M/S Shri Dauji Maharaj Bricks Industry, Khasra No.-258, Ujhani Bangar, Chatta, Mathura.	No	Issued on dated- 15.03.2022	06.06.2025	No
4.	M/S Shri Ganesh Bricks Industry, Khasra No.- 716,718, Bukhrari, Chatta, Mathura.	No	Issued on dated- 29.03.2022	04.06.2025	No
5.	M/S Jai MaaDurge Bricks Industry, Khasra No.-621, BdaBangar, Chatta, Mathura.	No	Issued on dated- 16.03.2022	04.06.2025	No
6.	M/S SS Bohre Bricks Industry, Khasra No.-254, Ujhani, Chatta, Mathura (Actual Name & Address- S.S. Bohare Ji Ent Udyog, Khasra No.-245, Ujhani, Chhata, Mathura).	No	Issued on dated- 28.02.2022	06.06.2025	No
7.	M/S Jai Falari Bricks Udhyog (Old Name- M/S Krishna Bicks Industry), Khasra No.- 215 A, 213, Ench, Chatta, Mathura (Actual Name- Jay Baba	No	Issued on dated- 29.03.2022	06.06.2025	No




Ran

	Falari).				
8.	M/S Jai Baba Mohan Ram Bricks Udhyog, Khasra No.-218, Ujhani Bangar, Chatta, Mathura.	No	Issued on dated-28.02.2022	06.06.2025	No
9.	M/S Bohre ji Bricks Company, Khasra No.-353,170, Bangar, Chatta, Mathura.	No	Issued on dated-28.02.2022	06.06.2025	No






DEPONENT

VERIFICATION


Verified at Mathura on this 03 day of July, 2025 that the contents of the above Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and based on the official records of the Respondent. No part of it is false and nothing material has been concealed there from.




DEPONENT

The contents of the above Document read over and explain to Shri  who is identified by Shri  on oath administered to day on S.No.  has been verified at my office and charged fees Rs 


Ramvir Singh
Advocate Notary
District Court Mathura


को मान्य है, इनही मेरे सामने
हैं, मैंने इसका पता किया है
कि यह वाक्य सत्य है

मै0 जय श्री राम ईट उद्योग, खसरा सं0-371 ग्राम- उझानी बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 21.03.2025 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 09.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री रणधीर पार्टनर उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-


1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 जय श्री राम ईट उद्योग, खसरा सं0-371, ग्राम- उझानी बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष-17.12.2013 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश- 27.800647 एवं देशांतर- 77.580397 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक- 1147/एन0ओ0सी0-825/2013 दिनांक-17.12.2013 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्रांक- 212255/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2024 दिनांक-03.07.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु अवधि- 31.07.2029 तक निर्गत है। भट्टे की ईट उत्पादन क्षमता 20000 ईट प्रतिदिन की है।
5. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर ईंधन के रूप में बायोमांस (तूरी) एकत्रित पायी गयी।
6. ईट भट्टे पर गाडियो के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
7. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
8. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।
9. ईट भट्टे के परिसर में धूल को कम करने हेतु कुछ जगहों पर ईट के टुकड़े को फर्श पर कच्चे रोड को पक्के रोड में परिवर्तित किया गया है। ईट भट्टे के चारों ओर वृक्षारोपण का कार्य भी पाया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(शैलेश मौर्य)
अनुश्रवण सहायक


(सुनील कुमार यश)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,


14.6.25

मै0 हरिबाबा ब्रिक्स उद्योग (नया नाम मै0 अर्बन ब्रिक्स उद्योग), खसरा सं0-226 ग्राम- ऐंच, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 21-03-2025 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 12.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री जितेन्द्र चौधरी उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 हरिबाबा ब्रिक्स उद्योग (नया नाम- अर्बन ब्रिक्स उद्योग), खसरा सं0- 226, ग्राम- ऐंच, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष-2006 से मै0 न्यू भगवती ब्रिक्स फील्ड के नाम से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश- 27.919162 एवं देशांतर- 77.479665 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक- 2125/एन0ओ0सी0-418/2006 दिनांक-31.03.2006 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्रांक- 216764/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2024 दिनांक-31.07.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु अवधि-31.07.2029 तक निर्गत है। भट्टे की ईट उत्पादन क्षमता 20000 ईट प्रतिदिन की है।
5. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर ईंधन के रूप में बायोमांस (तूरी) एकत्रित पायी गयी।
6. ईट भट्टे पर गाडियो के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
7. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
8. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।
9. ईट भट्टे के परिसर में धूल को कम करने हेतु कुछ जगहों पर ईट के टुकड़े को फर्श पर कच्चे रोड को पक्के रोड में परिवर्तित किया गया है। ईट भट्टे के चारों ओर वृक्षारोपण का कार्य भी पाया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


 (शैलेश मौर्य)
 अनुश्रवण सहायक


 (सुनील कुमार यश)
 अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,


 14.6.25


मै0 बाबा ब्रिक्स फील्ड, खसरा सं0-231 ग्राम- शेर नगर बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 21-03-2025 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 12.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री लोकेश दीक्षित उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 बाबा ब्रिक्स फील्ड, खसरा सं0-231, ग्राम- शेर नगर बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष-2014 से स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-137/एन0ओ0सी0-842/2014 दिनांक-12.05.2014 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्रांक-203473/UPPCB/Mathura(UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2024 दिनांक-28.02.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु अवधि- 31.07.2028 तक निर्गत है। भट्टे की ईट उत्पादन क्षमता 20000 ईट प्रतिदिन की है।
4. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर ईंधन के रूप में बायोमांस (तूरी) एकत्रित पायी गयी।
5. ईट भट्टे पर गाड़ियों के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
6. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
7. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।
8. ईट भट्टे के परिसर में धूल को कम करने हेतु कुछ जगहों पर ईट के टुकड़े को फर्श पर कच्चे रोड को पक्के रोड में परिवर्तित किया गया है। ईट भट्टे के चारों ओर वृक्षारोपण का कार्य भी पाया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(शैलेश मौर्य)
अनुश्रवण सहायक


14.06.2025
(सुनील कुमार यश)
अवर अभियन्ता

देशीय अधिकारी महोदय,


14.6.25

मै0 बाबा ब्रिक्स फील्ड, खसरा सं0-66 ग्राम- बड़ा बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 21-03-2025 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 12.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री लोकेश दीक्षित उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-


1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 बाबा ब्रिक्स फील्ड, खसरा सं0- 66, ग्राम- बड़ा बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष-07.02.2020 से स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक 90272/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2020 दिनांक-07.03.2020 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्रांक- 203837/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2024 दिनांक-28.02.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु अवधि- 31.07.2028 तक निर्गत है। भट्टे की ईट उत्पादन क्षमता 20000 ईट प्रतिदिन की है।
4. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर ईंधन के रूप में बायोमांस (तूरी) एकत्रित पायी गयी।
5. ईट भट्टे पर गाड़ियो के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
6. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
7. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।
8. ईट भट्टे के परिसर में धूल को कम करने हेतु कुछ जगहो पर ईट के टुकडे को फर्श पर कच्चे रोड को पक्के रोड में परिवर्तित किया गया है। ईट भट्टे के चारों ओर वृक्षारोपण का कार्य भी पाया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(शिलेश मौर्य)
अनुश्रवण सहायक


(सुनील कुमार यश)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,


14.6.25

मै0 श्री जी ईट उद्योग, खसरा सं0-33 ग्राम- उझानी बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 21.03.2025 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 09.08.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री राम किशन उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-


1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग में श्री जी ईट उद्योग, खसरा सं0. 33, ग्राम- उझानी बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष- 20.08.2009 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश- 27.817772 एवं देशांतर- 77.573463 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक- 556/एन0ओ0सी0-568/2009 दिनांक-20.08.2009 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्रांक-179336/UPPCB/Mathura(UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2023 दिनांक-20.03.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु अवधि- 31.07.2027 तक निर्गत है। भट्टे की ईट उत्पादन क्षमता 20000 ईट प्रतिदिन की है।
5. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर ईंधन के रूप में बायोब्रेकेटस (तूरी) एकत्रित पायी गयी।
6. ईट भट्टे पर गाड़ियों के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
7. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
8. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया है।
9. ईट भट्टे के परिसर में धूल को कम करने हेतु कुछ जगहों पर ईट के टुकड़े को फर्श पर कच्चे रोड को पक्के रोड में परिवर्तित किया गया है। ईट भट्टे के चारों ओर वृक्षारोपण का कार्य भी पाया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(शैलेश मौर्य)
अनुश्रवण सहायक


14.08.2025
(सुनील कुमार शर्मा)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,


14/8/25

मै0 श्री राम ईट उद्योग, खसरा सं0-26 ग्राम- उझानी बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 21-03-2025 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 09.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री राजू पार्टनर उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग में श्री राम ईट उद्योग, खसरा सं0- 26, ग्राम- उझानी बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष-2011 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.819618 एवं देशांतर- 77.570305 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक- 872/एन0ओ0सी0-706/2011 दिनांक-08.11.2021 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्रांक-177558/UPPCB/Mathura(UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2023 दिनांक 16.02.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु अवधि-31.07.2026 तक निर्गत है। भट्टे की ईट उत्पादन क्षमता 20000 ईट प्रतिदिन की है।
5. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर ईंधन के रूप में बायोमांस (तूरी) एकत्रित पायी गयी।
6. ईट भट्टे पर गाडियो के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
7. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
8. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।
9. ईट भट्टे के परिसर में धूल को कम करने हेतु कुछ जगहो पर ईट के टुकडे को फर्श पर कच्चे रोड को पक्के रोड में परिवर्तित किया गया है। ईट भट्टे के चारों ओर वृक्षारोपण का कार्य भी पाया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Shakti
14.6.25
(शैलेश मौर्य)
अनुश्रवण सहायक

Teesh
14.06.2025
(सुनील कुमार यश)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

14.6.25

मै0 पटेल भट्टा कम्पनी, खसरा सं0-122 ग्राम- रामपुर बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।


मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 21.03.2025 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 12.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री सोनू पटेल उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 पटेल भट्टा कम्पनी, खसरा सं0 . 122, ग्राम- रामपुर बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष- 01.07.2009 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश- 27.821357 एवं देशांतर- 77.569367 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक- 366/एन0ओ0सी0-548/2009 दिनांक-01.07.2009 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्रांक-179243/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2023 दिनांक 20.03.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु अवधि-31.07.2025 तक निर्गत है। भट्टे की ईट उत्पादन क्षमता 20000 ईट प्रतिदिन की है।
5. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर ईंधन के रूप में बायोमांस (तूरी) एकत्रित पायी गयी।
6. ईट भट्टे पर गाडियो के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
7. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है। ।
8. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्स्रवाह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।
9. ईट भट्टे के परिसर में धूल को कम करने हेतु कुछ जगहो पर ईट के टुकडे को फर्श पर कच्चे रोड को पक्के रोड में परिवर्तित किया गया है। ईट भट्टे के चारों ओर वृक्षारोपण का कार्य भी पाया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(शैलेश मौर्य)
अनुश्रवण सहायक


14-06-2025
(सुनील कुमार यश)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

14.6.25

साई बाबा ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 साई बाबा ईट उद्योग), खसरा सं0-116, 117, 118, मझोई बांगर, तहसील-छाता, मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।


मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक-27.05.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री सुरेन्द्र, मुनीम उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 साई बाबा ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 साई बाबा ईट उद्योग), खसरा सं0-116, 117, 118, मझोई बांगर, तहसील-छाता, मथुरा में स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.842401 एवं देशांतर-77.545226 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-107618/UPPCB/MATHURA (UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2020 दिनांक-22.10.2020 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-19.03.2021 द्वारा सहमति जल/वायु वर्ष 31.07.2024 तक प्राप्त थी।
5. सशर्त सहमति वायु कि शर्त संख्या 9 एवं विशिष्ट शर्त की बिन्दु संख्या 4 व 8 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्यालय की पत्र संख्या-1424/एस-518/2022 दिनांक 25.03.2022 द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु को निरस्त किया गया है।
6. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच 73531/सी-4/ईट-889/बन्दी आदेश/2022 दिनांक-29.03.2022 द्वारा ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।
7. उक्त ईट भट्टा को बोर्ड के पत्र दिनांक-13.12.2023 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये-4,00,000/- अधिरोपित की गयी है, जिसे वर्तमान तक जमा नहीं कराया गया है।
8. निरीक्षण के समय संचालित ईट भट्टे को फायर ब्रिगेड के माध्यम से पानी डालकर फुकाई कार्य रूकवाया गया तथा ईट भट्टा प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये कदापि नहीं किया जाये (कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न है)।
9. बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-H20188/C-4/Sa-II-759/Parya Kshati/2023 दिनांक-26.11.2024 द्वारा संदर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध आर0सी0 जारी की गयी है (छायाप्रति संलग्न)।
10. संदर्भित ईट भट्टा का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही होता पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टा में फुकाई का कार्य दिनांक- 01.03.2025 से किया गया है।
11. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर ईंधन के रूप में तूरी/बायो ब्रिकेट्स का भण्डारण पाया गया।
12. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न हैं।




अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्टे का संचालन दिनांक-01.03.2025 से दिनांक-27.05.2025 तक होने के कारण ईट भट्टे के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=PIxNxRxSxLF$, $EC=50x1x250x0.5x1.0=6250/-$ प्रतिदिन की दर से 88 दिवस हेतु कुल रू0-6250x88 =5,50,000/- की अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।


(शैलेश मौर्य)
अनुश्रवण सहायक


(सुनील कुमार यश)
अवर अभियन्ता



क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,



श्री माधवदास ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 श्री माधवदास ईट उद्योग), खसरा सं0-194, शहजादपुर बांगर, तहसील-छाता, मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक-27.05.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री लवकुश, मुनीम उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 श्री माधवदास ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 श्री माधवदास ईट उद्योग), खसरा सं0-194, शहजादपुर बांगर, तहसील-छाता, मथुरा में स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.838196 एवं देशांतर-77.545205 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-129217/UPPCB/MATHURA (UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2021 दिनांक-30.06.2021 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. उक्त ईट भट्टा द्वारा उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदंड) नियमावली, 2012 का अनुपालन नहीं किया गया है।
5. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच 73536/सी-4/ईट-891/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 29.03.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।
6. उक्त ईट भट्टा को बोर्ड के पत्र दिनांक-13.12.2023 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये-2,25,000/- अधिरोपित की गयी है, जिसे वर्तमान तक जमा नहीं कराया गया है।
7. निरीक्षण के समय संचालित ईट भट्टे को फायर ब्रिगेड के माध्यम से पानी डालकर फुकाई कार्य रूकवाया गया तथा ईट भट्टा प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये कदापि नहीं किया जाये (कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न है)।
8. बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-H20189/C-4/Sa-II-759/Parya Kshati/2023 दिनांक-26.11.2024 द्वारा संदर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध आर0सी0 जारी की गयी है (छायाप्रति संलग्न)।
9. संदर्भित ईट भट्टा का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही होता पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टा में फुकाई का कार्य दिनांक-01.03.2025 से किया गया है।
10. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर ईंधन के रूप में तूरी/बायो ब्रिकेट्स का भण्डारण पाया गया।
11. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न हैं।



अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्टे का संचालन दिनांक-01.03.2025 से दिनांक-27.05.2025 तक होने के कारण ईट भट्टे के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=PI \times N \times R \times S \times L \times F$, $EC=50 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0=6250/-$ प्रतिदिन की दर से 88 दिवस हेतु कुल $रू0-6250 \times 88=5,50,000/-$ की अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।


(शैलेश मौर्य)
अनुश्रवण सहायक



(सुनील कुमार यश)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक-27.05.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री शेर मोहम्मद उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 पाहत ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 पाहत ईट उद्योग), खसरा सं0-28/2, 29/2, बढा बांगर, तहसील-छाता, मथुरा में स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.834199 एवं देशांतर-77.543661 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-99209/UPPCB/MATHURA (UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2020 दिनांक-22.07.2020 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-22.07.2021 द्वारा सहमति जल/वायु वर्ष 31.07.2025 तक प्राप्त है।
5. सशर्त सहमति वायु कि शर्त संख्या 9 एवं विशिष्ट शर्त की बिन्दु संख्या 4 व 8 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्यालय की पत्र संख्या-1339/पी-191/2022 दिनांक-15.03.2022 द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु को निरस्त किया गया है।
6. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच 73011/सी-4/ईट-863/बन्दी/2022 दिनांक-16.03.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
7. उक्त ईट भट्टा को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये-6,75,000/- अधिरोपित की गयी है, जिसे वर्तमान तक जमा नहीं किया गया है।
8. निरीक्षण के समय संचालित ईट भट्टे को फायर ब्रिगेड के माध्यम से पानी डालकर फुकाई कार्य रूकवाया गया तथा ईट भट्टा प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये कदापि नहीं किया जाये (कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न है)।
9. बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-H20187/C-4/Sa-II-759/Parya Kshati/2023 दिनांक-26.11.2024 द्वारा संदर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध आर0सी0 जारी की गयी है (छायाप्रति संलग्न)।
10. संदर्भित ईट भट्टा का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही होता पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टा में फुकाई का कार्य दिनांक-01.03.2025 से किया गया है।
11. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर ईंधन के रूप में तूरी/बायो ब्रिकेट्स का भण्डारण पाया गया।
12. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न हैं।



अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्टे का संचालन दिनांक-01.03.2025 से दिनांक-27.05.2025 तक होने के कारण ईट भट्टे के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=PI \times N \times R \times S \times L \times F$, $EC=50 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0=6250/-$ प्रतिदिन की दर से 88 दिवस हेतु कुल $रू0-6250 \times 88 = 5,50,000/-$ की अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।


(शैलेश मौर्य)
अनुश्रवण सहायक


(सुनील कुमार यश)
अवर अभियन्ता



क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,



श्री किशोरी ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 श्री किशोरी जी ईट उद्योग), खसरा सं0-282, शेरनगर बांगर, तहसील-छाता, मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द्र बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक-27.05.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री रूपम शर्मा उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 श्री किशोरी ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 श्री किशोरी जी ईट उद्योग), खसरा सं0-282, शेरनगर बांगर, तहसील-छाता, मथुरा में स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के अक्षांश-27.837545 एवं देशांतर-77.536048 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-107521/UPPCB/MATHURA (UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2020 दिनांक-20.10.2020 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-06.07.2021 द्वारा सहमति जल/वायु वर्ष 31.07.2023 तक प्राप्त थी।
5. सशर्त सहमति वायु कि शर्त संख्या 9 एवं विशिष्ट शर्त की बिन्दु संख्या 4 व 8 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्यालय की पत्र संख्या-1332/एस-528/2022 दिनांक-15.03.2022 द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु को निरस्त किया गया है।
6. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच73008/सी-4/ईट-860/बन्दी/2022 दिनांक-16.03.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।
7. उक्त ईट भट्टा को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये-4,00,000/- अधिरोपित की गयी है, जिसे वर्तमान तक जमा नहीं कराया गया है।
8. निरीक्षण के समय संचालित ईट भट्टे को फायर ब्रिगेड के माध्यम से पानी डालकर फुकाई कार्य रूकवाया गया तथा ईट भट्टा प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये कदापि नहीं किया जाये (कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न है)।
9. बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-H20186/C-4/Sa-II-759/Parya Kshati/2023 दिनांक-26.11.2024 द्वारा संदर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध आर0सी0 जारी की गयी है (छायाप्रति संलग्न)।
10. संदर्भित ईट भट्टा का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही होता पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टा में फुकाई का कार्य दिनांक- 01.03.2025 से किया गया है।
11. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर ईंधन के रूप में तूरी/बायो ब्रिकेट्स का भण्डारण पाया गया।
12. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न हैं।




अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्टे का संचालन दिनांक-01.03.2025 से दिनांक-27.05.2025 तक होने के कारण ईट भट्टे के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=PI \times N \times R \times S \times L \times F$, $EC=50 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0=6250/-$ प्रतिदिन की दर से 88 दिवस हेतु कुल $रु0-6250 \times 88=5,50,000/-$ की अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।


(श्लेश मौर्य)
अनुश्रवण सहायक


(सुनील कुमार यश)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,






मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-६२/२०२५ "किरणपाल बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य" में आदेश दिनांक-12.02.2025 अनुपालन के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-६२/२०२५ "किरणपाल बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य" में पारित आदेश दिनांक-12.02.2025 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा के पत्रांक 1404/उ०प्र०/न०बो०/2024 दिनांक-28.03.2025 द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित संयुक्त टीम द्वारा सन्दर्भित ईट भट्टा में 0 परी ईट उद्योग, खसरा सं०-50, ग्राम-ऐंच, तहसील-छाता, गधुरा का निरीक्षण पूर्ण में दिनांक-05.04.2025 एवं दिनांक-06.05.2025 को संयुक्त रूप से किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा बन्दी आदेश प्रगावी होने के कारण बन्द पाया गया। ईट भट्टा स्वामी श्री नेमचन्द उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-

1. संदर्भित ईट भट्टा में 0 परी ब्रिक्स उद्योग, खसरा सं०-50, ग्राम-ऐंच, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा में टी०टी०जैड० सीमा के बाहर स्थापित है।
2. संदर्भित ईट उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्रांक-118874/UPPCB/Mathura(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2021 दिनांक-27.01.2021 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
3. ईट भट्टे द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग करके ईट का उत्पादन किया जाता है। ईट भट्टा 16 पाये (जिग-जैग) का है। ईट की उत्पादन क्षमता 20000 प्रति/दिन बताई गयी।
4. संदर्भित ईट भट्टा जिग-जैग (हाइड्र) पद्धति पर आधारित है।
5. ईट भट्टे द्वारा प्लेटफार्म, पोर्टहॉल, सीढ़ी, बाउण्ड्रीवॉल तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में सेटलिंग चैम्बर स्थापित है।
6. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-93/2021 "मुकेश कुमार अग्रवाल बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक-21.12.2021 के अनुपालन में ईट भट्टे का निरीक्षण संयुक्त टीम द्वारा दिनांक-16.03.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार संदर्भित ईट भट्टे के चारों ओर 10 मी० चौड़ी पट्टिका अथवा 3.0 मी० ऊँची दीवार (प्रवेश एवं निकास छोड़कर) नहीं बनायी गयी है। मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पक्की/मैटलिक रोड़ की स्थापना नहीं की गयी है। ईट भट्टे से होने वाले फ्लू गैस उत्सर्जन की नमूने एकत्रण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप सीढ़ी, मॉनिटरिंग प्लेटफार्म की व्यवस्था नहीं की गयी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच 73537/सी-4/ईट-890/बन्दी आदेश/2022 दिनांक-29.03.2022 द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है।
7. संदर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच 77250/सी-4/ईट-890/2022 दिनांक-16.06.2022 द्वारा मा० एन०जी०टी० के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक-28.04.2022 कुल 01 दिन डिफाल्टर मानते हुए रू०-12,500/- प्रतिदिन के आधार पर कुल रू०-12,500/- (रू० बारह हजार पाँच सौ) मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।
8. संदर्भित ईट भट्टे पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू०-12,500/- को ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक-13.02.2025 को ईट भट्टे स्वामी द्वारा जमा करा दिया गया है।
9. ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश को निक्षेपित किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक-1192/एनओसी-2070/2025 दिनांक-22.01.2025 द्वारा बोर्ड मुख्यालय लखनऊ को आख्या प्रेषित की गयी है (छायाप्रति संलग्न)।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।



Akshay Kumar
19/5/25

(अक्षय कुमार)
खान निरीक्षक,
मथुरा।

Pankaj Yadav

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा।

07/05/25
(श्वेता)

उप जिलाधिकारी,
तहसील-छाता, मथुरा।

मै0 श्री गोपाल जी ब्रिक्स उद्योग, खसरा सं0-357 ए ग्राम-उझानी, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 21.03.2025 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक- 06.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री सत्यभान उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 श्री गोपाल जी ब्रिक्स उद्योग, खसरा सं0-357 ग्राम-उझानी, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष-2019 से स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक- 69068/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/ CTE/MATHURA/2019 दिनांक-14.12.2019 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
3. सन्दर्भित ईट भट्टे के अक्षांश-27.809481 एवं देशांतर-77.585051 है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के द्वारा दिनांक-09.09.2020 से 31.07.2022 तक सशर्त सहमति (जल/वायु) तक निर्गत है।
5. सशर्त सहमति वायु कि शर्त संख्या 9 एवं विशिष्ट शर्त की बिन्दु संख्या 4 व 8 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्यालय की पत्र संख्या-126/एस-487/2022 दिनांक 26.02.2022 द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु को निरस्त किया गया है।
6. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच 72039/सी-4/ईट-787/बन्दी आदेश/2022 दिनांक-28.02.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
7. उक्त ईट भट्टा को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये-10,00,000/- अधिरोपित की गयी है।
8. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये कदापि नहीं किया जाये।
9. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Haish
11/6/25
SRP


(सुनील कुमार यश)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,


11.6.25

मै0 श्री दाऊजी महाराज ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 दाऊजी महाराज ईट उद्योग), खसरा सं0-258, उझानी बांगर, तहसील-छाता, मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 21.03.2025 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 06.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री ब्रजभान उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 श्री दाऊजी महाराज ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 दाऊजी महाराज ईट उद्योग), खसरा सं0-258, उझानी बांगर, तहसील-छाता, मथुरा में वर्ष 2020 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.809839 एवं देशांतर-77.573854 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-130764/UPPCB/MATHURA (UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2021 दिनांक-27.07.2021 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. उक्त ईट भट्टा द्वारा उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदंड) नियमावली, 2012 का अनुपालन नहीं किया गया है।
5. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच72861/सी-4/ईट-839/बन्दी/2022 दिनांक-15.03.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
6. उक्त ईट भट्टा को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये-2,25,000/- अधिरोपित की गयी है, जिसे भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है।
7. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये कदापि नहीं किया जाये।
8. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

[Handwritten Signature]
11.6.25

[Handwritten Signature]
11/6/25
JRA

[Handwritten Signature]
(सुनील कुमार यश)
अवर अभियन्ता

मै0 श्री गणेश ब्रिक्स इण्डस्ट्री, खसरा सं0-716, 718 ग्राम- बुखरारी, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द्र बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 21.03.2025 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक- 04.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टे संचालित नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री वीरेन्द्र उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 श्री गणेश ब्रिक्स इण्डस्ट्री, खसरा सं0-716, 718 ग्राम- बुखरारी, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष-2021 से स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-96265 /UPPCB/MATHURA (UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2020 दिनांक-30.06.2020 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
3. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.854184 एवं देशांतर-77.478322 है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के द्वारा दिनांक-16.10.2020 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु अधि-31.07.2024 तक निर्गत है।
5. सशर्त सहमति वायु कि शर्त संख्या 9 एवं विशिष्ट शर्त की बिन्दु संख्या 4 व 8 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्यालय की पत्र संख्या-1417/एस-495/2022 दिनांक-25.03.2022 द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु को निरस्त किया गया है।
6. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-73533/सी-4/ईट-884/बन्दी आदेश/2022 दिनांक-29.03.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
7. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये कदापि नहीं किया जाये।
8. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Harsh
11/6/25
JRC

(सुनील कुमार यश)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

11.6.25

मै0 जय दुर्गे मां ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 जय दुर्गा मां ईट उद्योग), खसरा सं0-621, बढा बांगर, तहसील-छाता, मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 21.03.2025 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री लोकमणी उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 जय दुर्गे मां ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 जय दुर्गा मां ईट उद्योग), खसरा सं0-621, बढा बांगर, तहसील-छाता, मथुरा में वर्ष 2020 से स्थापित है।
 2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.82301 एवं देशांतर-77.549488 है।
 3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-92260/UPPCB/MATHURA (UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2020 दिनांक-10.06.2020 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
 4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-14.10.2020 द्वारा सहमति जल/वायु वर्ष 31.07.2024 तक प्राप्त है।
 5. सशर्त सहमति वायु कि शर्त संख्या 9 एवं विशिष्ट शर्त की बिन्दु संख्या 4 व 8 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्यालय की पत्र संख्या-1327/जे-106/2022 दिनांक 15.03.2022 द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु को निरस्त किया गया है।
 6. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच73012/सी-4/ईट-864/बन्दी/2022 दिनांक-16.03.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
 7. उक्त ईट भट्टा को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये-6,37,500/- अधिरोपित की गयी है, जिसे भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है।
 8. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये कदापि नहीं किया जाये।
 9. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है।
- निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Harsh
11/6/25
JRF

(सुनील कुमार यश)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

[Handwritten Signature]
11.6.25

मै0 एस0एस0 बोहरे जी ब्रिक इण्डस्ट्री, खसरा सं0-254, उझानी, तहसील-छाता, मथुरा (वास्तविक नाम एवं पता मै0 एस0एस0 बोहरे जी ईट उद्योग, खसरा सं0-245, ग्राम-उझानी, तहसील-छाता, मथुरा) की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 21.03.2025 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 06.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री रामहेत उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 एस0एस0 बोहरे जी ब्रिक इण्डस्ट्री, खसरा सं0-254, उझानी, तहसील-छाता, मथुरा (वास्तविक नाम एवं पता मै0 एस0एस0 बोहरे जी ईट उद्योग, खसरा सं0-245, ग्राम-उझानी, तहसील-छाता, मथुरा) में वर्ष 2012 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.805766 एवं देशांतर-77.57123 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-435/एन0ओ0सी0-736/12 दिनांक- 06.07.2012 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-20.12.2018 द्वारा सहमति जल/वायु वर्ष 31.07.2020 तक प्राप्त थी।
5. ईट भट्टे द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही ईट भट्टे का संचालन किया जा रहा था, जिसके परिप्रेक्ष्य में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच72055/सी-4/ईट-795/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 28.02.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
6. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये कदापि नहीं किया जाये।
7. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का ईंधन एकत्रित नहीं पाया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Harsh
11/6/25
JRF

Harsh
(सुनील कुमार यश)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

11.6.25

मै0 जय फलारी ब्रिक्स उद्योग (वास्तविक नाम मै0 जय बाबा फलारी ईट उद्योग), खसरा सं0-215 ए, 213, ग्राम-ऐंच, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 21.03.2025 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 06.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री जितेन्द्र उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

- कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 जय फलारी ब्रिक्स उद्योग (वास्तविक नाम मै0 जय बाबा फलारी ईट उद्योग), खसरा सं0-215 ए, 213, ग्राम-ऐंच, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा में पूर्व नाम मै0 कृष्णा ईट उद्योग से स्थापित है।
- सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.921229 एवं देशांतर-77.47927 है।
- उक्त ईट भट्टे द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही ईट भट्टा स्थापित कर लिया गया था, जिसमें बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच20187/सी-4/ईट-242/बन्दी आदेश/2018 दिनांक-17.05.2018 द्वारा बन्दी निर्गत किया गया।
- कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे द्वारा वर्ष 2020 में प्रथम बार सहमति जल/वायु हेतु आवेदन किया गया था, जिसे राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-08.10.2020 को निरस्त किया गया। तत्पश्चात् ईट भट्टे द्वारा पुनः आवेदन कर बन्दी आदेश निक्षेपित कराते हुए सहमति जल/वायु दिनांक-31.07.2024 तक प्राप्त की गयी है।
- सशर्त सहमति वायु कि शर्त संख्या 9 एवं विशिष्ट शर्त की बिन्दु संख्या 4 व 8 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्यालय की पत्र संख्या-1414/जे-107/2022 दिनांक-25.03.2022 द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु को निरस्त किया गया है।
- तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच72527/सी-4/ईट-885/बन्दी आदेश/2022 दिनांक-29.03.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
- निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये कदापि नहीं किया जाये।
- उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,


11.6.25


Harsh
11/6/25
JKF
(सुनील कुमार यश)
अवर अभियन्ता

मै0 जय बाबा मोहन राम ब्रिक्स उद्योग, खसरा सं0-218, ग्राम- उझानी बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

- मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 21.03.25 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का पूर्व में दिनांक- 06.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री ललित उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-
1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 जय बाबा मोहन राम ब्रिक्स उद्योग, खसरा सं0-218, ग्राम- उझानी बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष-2013 से स्थापित है।
 2. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-1146/एन0ओ0सी0-826/2013 दिनांक-17.12.2013 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
 3. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.800302 एवं देशांतर-77.568978 है।
 4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के द्वारा दिनांक-02.08.2021 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु अवधि-31.07.2026 तक निर्गत है।
 5. सशर्त सहमति वायु कि शर्त संख्या 8 एवं विशिष्ट शर्त की बिन्दु संख्या 4 व 8 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्यालय की पत्र संख्या-1135/जे-92/2022 दिनांक-26.02.2022 द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु को निरस्त किया गया है।
 6. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच72043/सी-4/ईट-783/बन्दी आदेश/2022 दिनांक-28.02.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
 7. उक्त ईट भट्टा को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये-10,00,000/- अधिरोपित की गयी है। जिसे भू- राजस्व की भाँति वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है।
 8. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये कदापि नहीं किया जाये।
 9. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

[Handwritten Signature]
11.6.21

[Handwritten Signature]
11/6/25
JR R

[Handwritten Signature]
(सुनील कुमार यश)
अवर अभियन्ता

मै0 बोहरे जी ब्रिक कम्पनी, खसरा सं0-170, 353, उझानी बांगर, तहसील-छाता, मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 21.03.2025 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का पूर्व में दिनांक- 06.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री रामकिशन उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 बोहरे जी ब्रिक कम्पनी, खसरा सं0-170, 353, उझानी बांगर, तहसील-छाता, मथुरा में वर्ष 2020 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.807437 एवं देशांतर-77.586577 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक- 67771/UPPCB/MATHURA (UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2019 दिनांक-30.09.2019 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-08.01.2020 द्वारा सहमति जल/वायु वर्ष 31.07.2022 तक प्राप्त थी।
5. सशर्त सहमति वायु कि शर्त संख्या 9 एवं विशिष्ट शर्त की बिन्दु संख्या 4 व 8 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्यालय की पत्र संख्या-1127/पी-234/2022 दिनांक-26.02.2022 द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु को निरस्त किया गया है।
6. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच72042/सी-4/ईट-790/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 28.02.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
7. उक्त ईट भट्टा को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये 10,00,000/- अधिरोपित की गयी है, जिसे भू- राजस्व की भाँति वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है।
8. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये कदापि नहीं किया जाये।
9. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

[Handwritten Signature]
11.6.25

[Handwritten Signature]
11/6/25
JKF

[Handwritten Signature]
(सुनील कुमार यश)
अवर अभियन्ता

पत्रांक : 429887 / सी-4 / ईट-889 / पर्या० क्षति० / 2025.

पंजीकृत
दिनांक 8-7-25

मै० साई बाबा इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम-साई बाबा ईट उद्योग),
खसरा स०-116, 117, 118, मझोई बांगर, तहसील-छाता,
जनपद-मथुरा।

यह कि बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच29267/सी-4/ईट-889/का०ब०नो०-पर्या०क्ष०/2025 दिनांक 17.06.2025 के माध्यम से मै० साई बाबा इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम-साई बाबा ईट उद्योग), खसरा स०-116, 117, 118, मझोई बांगर, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा के अनुसार जारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु गाइडलाइन में वर्णित सूत्र $PI \times N \times R \times S \times LF$, $EC = 50 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 = 6,250/-$ मात्र प्रतिदिन की दर से दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक अर्थात 88 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू० 5,50,000/- (रूपया पाँच लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जो कि वर्तमान में प्रभावी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा पूर्व में प्रेषित आख्या दिनांक 09.06.2025 में संदर्भित ईट भट्टे के औचक निरीक्षण दिनांक 27.05.2025 के समय उपस्थित प्रतिनिधि श्री सुरेन्द्र, मुनीम द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टा में फुकाई का कार्य दिनांक 01.03.2025 से किया गया है। उक्त ईट भट्टे पर पूर्व से बन्दी आदेश दिनांक 29.03.2022 प्रभावी होने के फलस्वरूप बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टा संचालित पाये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार $EC = 50 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 = 6,250/-$ प्रतिदिन की दर से कुल दिवस हेतु कुल रू० 6,250 x 88 = 5,50,000/- मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी थी।

तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक दिनांक 17.06.2025 के माध्यम से संदर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक कुल 88 उल्लंघन दिवसों हेतु रू० 5,50,000/- मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा से प्राप्त आख्या/संस्तुति दिनांक 30.06.2025 के अनुक्रम में ईट भट्टा मै० साई बाबा इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम-साई बाबा ईट उद्योग), खसरा स०-116, 117, 118, मझोई बांगर, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC = 50 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 = 6,250/-$ प्रतिदिन की दर से दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक कुल 88 उल्लंघन दिवसों हेतु रू० 5,50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 5,50,000/- (रूपया पाँच लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/Direct Feesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Air pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

Digitally signed by

RAM GOPAL

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

Date: 08-07-2025
10:47:43

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उवप्रव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को राज्य बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पंजीकृत

पत्रांक H29073 / सी-4 / ईट-891 / पर्या0 शक्ति0 / 2025.दिनांक 7-7-25

मै0 श्री माधवदास ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 श्री माधवदास ईट उद्योग),
खसरा स0-194, ग्राम-शहजादपुर बागर, तहसील-छाता,
जनपद-मथुरा।

यह कि बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच29209 / सी-4 / ईट-891 / का10व0नो0-पर्या0श0 / 2025 दिनांक 17.06.2025 के माध्यम से मै0 श्री माधवदास ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम-मै0 श्री माधवदास ईट उद्योग), खसरा स0-194, ग्राम-शहजादपुर बागर, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु गाइडलाइन में वर्णित सूत्र $EC=PI \times N \times R \times S \times L \times F$ के अनुसार $EC=50 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 = 6.250/-$ मात्र प्रतिदिन की दर से दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक अर्थात् 88 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 5.50,000/- (रुपया पाँच लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जो कि वर्तमान में प्रभावी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा पूर्व में प्रेषित आख्या दिनांक 09.06.2025 में संदर्भित ईट भट्टे के औचक निरीक्षण दिनांक 27.05.2025 के समय उपस्थित प्रतिनिधि श्री लवकुश, मुनीम द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टा में फुकाई का कार्य दिनांक 01.03.2025 से किया गया है। उक्त ईट भट्टे पर पूर्व से बन्दी आदेश दिनांक 29.03.2022 प्रभावी होने के फलस्वरूप बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टा संचालित पाये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार $EC=50 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 = 6.250/-$ प्रतिदिन की दर से कुल दिवस हेतु कुल रू0 6.250x88= 5.50,000/- मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की सन्तुति प्रेषित की गयी थी। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक दिनांक 17.06.2025 के माध्यम से संदर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक कुल 88 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 5.50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा प्रेषित नवीनतम आख्या पत्र दिनांक 30.06.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्यानुसार संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 30.06.2025 को किया गया। आख्या दिनांक 30.06.2025 एवं 23.06.2025 में अवगत कराया गया कि ईट भट्टा स्वामी को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्राप्त दिनांक 19.06.2025 को करायी गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में ईट भट्टे स्वामी द्वारा प्रेषित शपथपत्र दिनांक 19.06.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ईट भट्टे पर कुछ पथाई की कच्ची ईट रखे होने के कारण ईट भट्टे का संचालन दिनांक 22.05.2025 से शुरू किया गया था परन्तु जिला प्रशासन द्वारा किये गये औचक निरीक्षण दिनांक 27.05.2025 में प्रशासन द्वारा भट्टे पर पानी डलवाकर फुकाई का कार्य बन्द करा दिया गया तथा भट्टा स्वामी द्वारा दिनांक 27.05.2025 से भट्टे का संचालन पूर्णतः बन्द करा दिया गया है। ईट भट्टे द्वारा प्रेषित शपथ पत्र द्वारा कुल उल्लंघनकारी दिवस दिनांक 22.05.2025 से 27.05.2025 तक 06 दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का अनुरोध किया है।

यह कि ईट भट्टा प्रतिनिधि द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 19.06.2025 द्वारा बिन्दु स0-04 में संचालन 22.05.2025 से शुरू किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु पूर्व प्रेषित आख्या में दिनांक 01.03.2025 का उल्लेख किया गया है एवं ईट भट्टे द्वारा प्रेषित शपथ पत्र में संचालन दिनांक 22.05.2025 से किये जाने के सबंध में प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे शपथ पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा से प्राप्त

टी सी - 12वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ - 226010
ई-मेल - info@uppcb.com
वेबसाइट - www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.up.gov.in

आख्या/संस्तुति दिनांक 23.06.2025 एवं 30.06.2025 के अनुक्रम में ईट भट्ठा नो श्री माधवदास ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम-मै0 श्री माधवदास ईट उद्योग), खसरा सं0-194, ग्राम-शहजादपुर बांगर, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=50 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 = 6,250/-$ प्रतिदिन की दर से दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक कुल 88 उल्लंघन दिवसों हेतु ₹0 5,50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ₹0 5,50,000/- (रुपया पाँच लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Air pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

Digitally signed by

RAM GOPAL

Date: 07-07-2025

12:35:44

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्ठे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को राज्य बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



1/20131/2025

पंजीकृत

पत्रांक H29871 / सी-4 / ईट-883 / पर्या0 क्षति0 / 2025.

दिनांक 7-7-25

मै0 पाहट ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम-मै0 पाहट ईट उद्योग),
खसरा सं0-28/2, 29/2, बदा बांगर,
तहसील-छाता, जनपद-मथुरा।

यह कि बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच 29288 / सी-4 / ईट-883 / का0ब0न0-पर्या0क्ष0 / 2025 दिनांक 17.06.2025 के माध्यम से मै0 पाहट ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम-मै0 पाहट ईट उद्योग), खसरा सं0-28/2, 29/2, बदा बांगर, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु गाइडलाइन में वर्णित सूत्र $EC=PI \times N \times R \times S \times LF$ के अनुसार $EC=50 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0=6.250/-$ मात्र प्रतिदिन की दर से दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक अर्थात् 88 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 5,50,000/- (रूपया पाँच लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जो कि वर्तमान में प्रभावी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा पूर्व में प्रेषित आख्या दिनांक 09.06.2025 में संदर्भित ईट भट्टे के औचक निरीक्षण दिनांक 27.05.2025 के समय उपस्थित प्रतिनिधि श्री शेर मोहम्मद द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टा में फुकाई का कार्य दिनांक 01.03.2025 से किया गया है। उक्त ईट भट्टे पर पूर्व से बन्दी आदेश दिनांक 16.03.2022 प्रभावी होने के फलस्वरूप बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टा संचालित पाये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार $EC=50 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0=6.250/-$ प्रतिदिन की दर से कुल दिवस हेतु कुल रू0 6,250x88= 5,50,000/- मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी थी। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक दिनांक 17.06.2025 के माध्यम से संदर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक कुल-88 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 5,50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा प्रेषित नवीनतम आख्या पत्र दिनांक 30.06.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्यानुसार संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 30.06.2025 को किया गया। आख्या दिनांक 30.06.2025 एवं 23.06.2025 में अवगत कराया गया कि ईट भट्टा स्वामी को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्राप्त दिनांक 19.06.2025 को करायी गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में ईट भट्टे स्वामी द्वारा प्रेषित शपथपत्र दिनांक 19.06.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ईट भट्टे पर कुछ पथाई की कच्ची ईट रखे होने के कारण ईट भट्टे का संचालन दिनांक 23.05.2025 से शुरू किया गया था परन्तु जिला प्रशासन द्वारा किये गये औचक निरीक्षण दिनांक 27.05.2025 में प्रशासन द्वारा भट्टे पर पानी डलवाकर फुकाई का कार्य बन्द करा दिया गया तथा भट्टा स्वामी द्वारा दिनांक 27.05.2025 से भट्टे का संचालन पूर्णतः बन्द करा दिया गया है। ईट भट्टे द्वारा प्रेषित शपथ पत्र द्वारा कुल उल्लंघनकारी दिवस दिनांक 23.05.2025 से 27.05.2025 तक 05 दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का अनुरोध किया है।

यह कि ईट भट्टा प्रतिनिधि द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 19.06.2025 द्वारा बिन्दु सं0-04 में संचालन 23.05.2025 से शुरू किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु पूर्व प्रेषित आख्या में दिनांक 01.03.2025 का उल्लेख किया गया है एवं ईट भट्टे द्वारा प्रेषित शपथ पत्र में संचालन दिनांक 23.05.2025 से किये जाने के संबंध में प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे शपथ पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा से प्राप्त

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.up.gov.in

आख्या/संस्तुति दिनांक 23.06.2025 एवं 30.06.2025 के अनुक्रम में ईट भट्टा मै0 पाहट ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम-मै0 पाहट ईट उद्योग), खसरा सं0-28/2, 29/2, बड़ा बांगर, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=50 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 = 6,250/-$ प्रतिदिन की दर से दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक कुल 88 उल्लघन दिवसों हेतु रू0 5,50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5,50,000/- (रूपया पाँच लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Air pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

Digitally signed by

RAM GOPAL

Date: 07-07-2025

12:25:00

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को राज्य बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पंजीकृत

पत्रांक: 129870 / सी-4 / ईट-890 / पर्या0 शक्ति / 2025,

दिनांक: 7-7-25

मै0 परी ईट उद्योग,
खसरा सं0-50, ग्राम-ऐंघ, तहसील-छाता,
जनपद-मथुरा।

यह कि बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच29138/सी-4/ईट-890/का0ब0नो0-पर्या0श0/2025 दिनांक 12.06.2025 के माध्यम से मै0 परी ईट उद्योग, खसरा सं0-50, ग्राम-ऐंघ, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु गाइडलाइन में वर्णित सूत्र $EC=PI \times N \times R \times S \times LF$ के अनुसार $EC=50 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0=6,250/-$ मात्र प्रतिदिन की दर से दिनांक 08.04.2023 से दिनांक 14.06.2023 तक अर्थात् 68 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 4,25,000/- (रुपया चार लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जो कि वर्तमान में प्रभावी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा पूर्व में प्रेषित आख्या दिनांक 21.05.2025 में संदर्भित ईट भट्टे के औचक निरीक्षण दिनांक 14.06.2023 के समय उपस्थित प्रतिनिधि श्री नेमचन्द, पार्टनर द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टा में फुकाई का कार्य दिनांक 08.04.2023 से किया गया है। उक्त ईट भट्टे पर पूर्व से बन्दी आदेश दिनांक 29.03.2022 प्रभावी होने के फलस्वरूप बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टा संचालित पाये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 08.04.2023 से दिनांक 14.06.2023 तक विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार $EC=50 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0=6,250/-$ प्रतिदिन की दर से कुल दिवस हेतु कुल रू0 6,250x68= 4,25,000/- मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी थी। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक दिनांक 12.06.2025 के माध्यम से संदर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 08.04.2023 से दिनांक 14.06.2023 तक कुल 68 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 4,25,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा प्रेषित नवीनतम आख्या पत्र दिनांक 30.06.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्यानुसार संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 30.06.2025 को किया गया। आख्या दिनांक 30.06.2025 एवं 23.06.2025 में अवगत कराया गया कि ईट भट्टा स्वामी को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्राप्त दिनांक 19.06.2025 को करायी गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में ईट भट्टे स्वामी द्वारा प्रेषित शपथपत्र दिनांक 19.06.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ईट भट्टे पर कुछ पथाई की कच्ची ईट रखे होने के कारण ईट भट्टे का संचालन दिनांक 09.06.2023 से शुरू किया गया था परन्तु जिला प्रशासन द्वारा किये गये औचक निरीक्षण दिनांक 14.06.2023 में प्रशासन द्वारा भट्टे पर पानी डलवाकर फुकाई का कार्य बन्द करा दिया गया तथा भट्टा स्वामी द्वारा दिनांक 14.06.2023 से भट्टे का संचालन पूर्णतः बन्द करा दिया गया है। ईट भट्टे द्वारा प्रेषित शपथ पत्र द्वारा कुल उल्लंघनकारी दिवस दिनांक 09.06.2023 से 14.06.2023 तक 06 दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का अनुरोध किया है।

यह कि ईट भट्टा प्रतिनिधि द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 19.06.2025 द्वारा बिन्दु सं0-04 में संचालन 09.06.2023 से शुरू किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु पूर्व प्रेषित आख्या में दिनांक 08.04.2023 का उल्लेख किया गया है एवं ईट भट्टे द्वारा प्रेषित शपथ पत्र में संचालन दिनांक 09.06.2023 से किये जाने के संबंध में प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे शपथ पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा से प्राप्त

आख्या / संस्तुति दिनांक 23.06.2025 एवं 30.08.2025 के अनुक्रम में ईट भट्टा मै0 परी ईट उद्योग, खसरा सं0-50, ग्राम-ऐंच, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=50 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 = 6,250/-$ प्रतिदिन की दर से दिनांक 08.04.2023 से दिनांक 14.06.2023 तक कुल 68 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 4,25,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 4,25,000/- (रूपया चार लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Air pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 07-07-2025

12:30:19
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को राज्य बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



गंजीवत

पत्रांक H29872 / सी-4 / ईट-860 / पर्या0 क्षति0 / 2025.

दिनांक 7-7-25

मै0 श्री किशोरी ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम-मै0 श्री किशोरी जी ईट उद्योग),
खसरा सं0-282, शेरनगर बांगर, तहसील-छाता,
जनपद-मथुरा।

यह कि बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच29277/सी-4/ईट-860/का0ब0न0-पर्या0क्ष0/2025 दिनांक 17.06.2025 के माध्यम से मै0 श्री किशोरी ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम-मै0 श्री किशोरी जी ईट उद्योग), खसरा सं0-282, शेरनगर बांगर, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा के विरुद्ध केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु गाइडलाइन में वर्णित सूत्र $EC=PI \times N \times R \times S \times L \times F$ के अनुसार $EC=50 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 = 6,250/-$ मात्र प्रतिदिन की दर से दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक अर्थात् 88 उत्संघन दिवसों हेतु कुल रू0 5,50,000/- (रुपया पाँच लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जो कि वर्तमान में प्रभावी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा पूर्व में प्रेषित आख्या दिनांक 09.06.2025 में सदभित ईट भट्टे के औद्योगिक निरीक्षण दिनांक 27.05.2025 के समय उपस्थित प्रतिनिधि श्री रूपम शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टा में फुकाई का कार्य दिनांक 01.03.2025 से किया गया है। उक्त ईट भट्टे पर पूर्व से बन्दी आदेश दिनांक 16.03.2022 प्रभावी होने के फलस्वरूप बन्दी आदेश का उत्संघन करते हुए ईट भट्टा संचालित पाये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक विरुद्ध केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार $EC=50 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 = 6,250/-$ प्रतिदिन की दर से कुल दिवस हेतु कुल रू0 6,250 x 88 = 5,50,000/- मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी थी। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक दिनांक 17.06.2025 के माध्यम से सदभित ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक कुल 88 उत्संघन दिवसों हेतु रू0 5,50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा प्रेषित नवीनतम आख्या पत्र दिनांक 30.06.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्यानुसार सदभित ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 30.06.2025 को किया गया। आख्या दिनांक 30.06.2025 एव 23.06.2025 में अवगत कराया गया कि ईट भट्टा स्वामी को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्राप्त दिनांक 19.06.2025 को करायी गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में ईट भट्टे स्वामी द्वारा प्रेषित शपथपत्र दिनांक 19.06.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ईट भट्टे पर कुछ पध्याई की कच्ची ईट रखे होने के कारण ईट भट्टे का संचालन दिनांक 23.05.2025 से शुरू किया गया था परन्तु जिला प्रशासन द्वारा किये गये औद्योगिक निरीक्षण दिनांक 27.05.2025 में प्रशासन द्वारा भट्टे पर पानी डलवाकर फुकाई का कार्य बन्द करा दिया गया तथा भट्टा स्वामी द्वारा दिनांक 27.05.2025 से भट्टे का संचालन पूर्णतः बन्द करा दिया गया है। ईट भट्टे द्वारा प्रेषित शपथ पत्र द्वारा कुल उत्संघनकारी दिवस दिनांक 23.05.2025 से 27.05.2025 तक 05 दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का अनुरोध किया है।

यह कि ईट भट्टा प्रतिनिधि द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 19.06.2025 द्वारा बिन्दु सं0-04 में संचालन 23.05.2025 से शुरू किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु पूर्व प्रेषित आख्या में दिनांक 01.03.2025 का उल्लेख किया गया है एव ईट भट्टे द्वारा प्रेषित शपथ पत्र में संचालन दिनांक 23.05.2025 से किये जाने के सबंध में प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे शपथ पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा से प्राप्त

आख्या/संस्तुति दिनांक 23.06.2025 एवं 30.06.2025 के अनुक्रम में ईट भट्टा में श्री किशोरी ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम-मै0 श्री किशोरी जी ईट उद्योग), खसरा सं0-282, शेरनगर बांगर, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=50 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 = 6,250/-$ प्रतिदिन की दर से दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक कुल 88 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 5,50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5,50,000/- (रूपया पाँच लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/Uppcb> तथा Nature of Pollution-Air pollution एवं EC imposed in compliance-Uppcb पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

Digitally signed by

RAM GOPAL

Date: 07-07-2025

12:33:19

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को राज्य बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4